भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
Bharat Electronics Limited

(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)
सी आई एन / CIN : L32309KA1954GO1000787
पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय - आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु - 560 045
Registered & Corporate Office : Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560 045

सूचना / NOTICE

प्रति

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सभी सदस्य

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों की 68वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) मंगलवार, दिनांक 30 अगस्त, 2022 को सुबह 10 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉनफ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम ("ओएवीएम") से निम्नलिखित कारोबार संचालित करने हेतु आयोजित की जाएगी -

सामान्य कारोबार-

1. निम्नलिखित पर विचार करने और उसे स्वीकार करने हेतु -

   क) 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण और उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट; और

   ख) 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट ।

2. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 3.00 (300%) प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश के भुगतान को संपुष्ट करना और ₹ 1 प्रत्येक पूर्ण चुकता शेयर पर ₹ 1.50 (150%) प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश घोषित करना।

3. **श्री राजशेखर एम वी** (डीआईएन-08850171) जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने पर स्वयं को पुन:नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।

विशेष कारोबार-

4. **डॉ पार्थसारथी पी वी (डीआईएन-06400408) की निदेशक के रूप में नियुक्ति**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

   "**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 जिसे अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों)

To

The Members of Bharat Electronics Limited

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 68th Annual General Meeting (the AGM) of the Members of Bharat Electronics Limited will be held on Tuesday, 30 August 2022, at 10:00 a.m (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider and adopt:

   a) the Audited Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2022 and the reports of the Board of Directors and the Auditors thereon; and

   b) the Audited Consolidated Financial Statement(s) of the Company for the financial year ended 31 March 2022 and the reports of Auditors thereon.

2. To confirm the payment of interim dividend of ₹ 3.00 (300%) per equity share and to declare final dividend of ₹ 1.50 (150%) per equity share of ₹ 1 each fully paid up for the financial year 2021-22.

3. To appoint a Director in place of **Mr Rajasekhar M V** (DIN:08850171), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS:

4. **Appointment of Dr Parthasarathi P V (DIN:06400408) as Director.**

   To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special Resolution:**

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory

या पुन:अधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुक्रम में डॉ पार्थसारथी पी वी (डीआईएन-06400408), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई00 32/1/2020-डी(बीईएल) दिनांक 23 दिसंबर 2021 द्वारा भारत सरकार द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संबंध में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए 28 दिसंबर, 2021 से प्रभावी, अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से डॉ पार्थसारथी पी वी (डीआईएन-06400408) को कंपनी के निदेशक के पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव करने हेतु अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे"

5. श्री मनसुखभाई एस खचारिया (डीआईएन-01423119) की निदेशक के रूप में नियुक्ति

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 जिसे अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुन:अधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुक्रम में श्री मनसुखभाई एस खचारिया (डीआईएन-01423119), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई00 32/1/2020-डी(बीईएल) दिनांक 23 दिसंबर 2021 द्वारा भारत सरकार द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संबंध में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए 28 दिसंबर, 2021 से प्रभावी, अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से श्री मनसुखभाई एस खचारिया (डीआईएन-01423119) को कंपनी के निदेशक के पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव करने हेतु अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे"

modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Dr Parthasarathi P V (DIN:06400408), who was appointed as Non-official Independent Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E00 32/1/2020-D(BEL) dated 23 December 2021 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 28 December 2021 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Dr Parthasarathi P V (DIN:06400408) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India."

5. Appointment of Mr Mansukhbhai S Khachariya (DIN:01423119) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Mr Mansukhbhai S Khachariya (DIN:01423119), who was appointed as Non-official Independent Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E00 32/1/2020-D(BEL) dated 23 December 2021 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 28 December 2021 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Mr Mansukhbhai S Khachariya (DIN:01423119) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India."

6. श्री प्रफुल्ल कुमार चौधुरी (डीआईएन-00871919) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 जिसे अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुन:अधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुक्रम में श्री प्रफुल्ल कुमार चौधुरी (डीआईएन-00871919), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई00 32/1/2020-डी(बीईएल) दिनांक 23 दिसंबर 2021 द्वारा भारत सरकार द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संबंध में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए 28 दिसंबर, 2021 से प्रभावी, अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से श्री प्रफुल्ल कुमार चौधुरी (डीआईएन-00871919) को कंपनी के निदेशक के पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव करने हेतु अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे"

7. डॉ. शिवनाथ यादव (डीआईएन-09450917) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 जिसे अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुन:अधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुक्रम में डॉ. शिवनाथ यादव (डीआईएन-09450917), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई00 32/1/2020-डी(बीईएल) दिनांक 23 दिसंबर 2021 द्वारा भारत सरकार द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संबंध में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए 28 दिसंबर, 2021 से प्रभावी, अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से डॉ. शिवनाथ यादव (डीआईएन-09450917) को कंपनी के निदेशक के पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव करने हेतु अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे"

6. Appointment of Mr Prafulla Kumar Choudhury (DIN:00871919) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Mr Prafulla Kumar Choudhury (DIN:00871919), who was appointed as Non-official Independent Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E00 32/1/2020-D(BEL) dated 23 December 2021 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 28 December 2021 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Mr Prafulla Kumar Choudhury (DIN:00871919) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India."

7. Appointment of Dr Shivnath Yadav (DIN:09450917) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Dr Shivnath Yadav (DIN:09450917), who was appointed as Non-official Independent Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E00 32/1/2020-D(BEL) dated 23 December 2021 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 28 December 2021 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Dr Shivnath Yadav (DIN:09450917) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India."

8. डॉ संतोषकुमार एन (डीआईएन-09451052) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 जिसे अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुन:अधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुक्रम में डॉ संतोषकुमार एन (डीआईएन-09451052), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई00 32/1/2020-डी(बीईएल) दिनांक 23 दिसंबर 2021 द्वारा भारत सरकार द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संबंध में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए 28 दिसंबर, 2021 से प्रभावी, अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से डॉ संतोषकुमार एन (डीआईएन-09451052) को कंपनी के निदेशक के पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव करने हेतु अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे"

8. Appointment of Dr Santhoshkumar N (DIN:09451052) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Dr Santhoshkumar N (DIN:09451052), who was appointed as Non-official Independent Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E00 32/1/2020-D(BEL) dated 23 December 2021 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 28 December 2021 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Dr Santhoshkumar N (DIN:09451052) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India."

9. श्री गोकुलन बी (डीआईएन-09473378) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 जिसे अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुन:अधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुक्रम में श्री गोकुलन बी (डीआईएन-09473378), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई00 32/1/2020-डी(बीईएल) दिनांक 10 जनवरी 2022 द्वारा भारत सरकार द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संबंध में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए 20 जनवरी, 2022 से प्रभावी, अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से श्री गोकुलन बी (डीआईएन-09473378) को कंपनी के निदेशक के पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव करने हेतु अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे"

9. Appointment of Mr Gokulan B (DIN:09473378) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Mr. Gokulan B (DIN:09473378), who was appointed as Non-official Independent Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E00 32/1/2020-D(BEL) dated 10 January 2022 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 20 January 2022 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Mr. Gokulan B (DIN:09473378) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India."

10. श्रीमती श्यामा सिंह (डीआईएन-09495164) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 जिसे अनुसूची IV तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुन:अधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुक्रम में **श्रीमती श्यामा सिंह** (डीआईएन-09495164), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई00 32/1/2020-डी(बीईएल) दिनांक 28 जनवरी 2022 द्वारा भारत सरकार द्वारा गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संबंध में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए 07 फरवरी, 2022 से प्रभावी, अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से श्रीमती श्यामा सिंह (डीआईएन-09495164) को कंपनी के निदेशक के पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव करने हेतु अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे"

11. श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव (डीआईएन-09578183) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -:

"**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुन:अधिनियमन सहित) के अनुक्रम में श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव (डीआईएन-09578183), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. डीडीपी-ई00 32/4/2020-डी(बीईएल) दिनांक 20 अप्रैल 2022 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा निदेशक (अन्य यूनिटें) के रूप में नियुक्त किया गया था और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संबंध में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए 20 अप्रैल, 2022 से प्रभावी, अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और निदेशक (अन्य यूनिटें) के रूप में नामित किया गया तथा जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से श्री भानु प्रकाश श्रीवास्तव (डीआईएन- 09578183) को कंपनी के निदेशक के पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव करने हेतु अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे"

10. Appointment of Mrs Shyama Singh (DIN:09495164) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a **Special Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 152 read with Schedule IV and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Mrs. Shyama Singh (DIN:09495164), who was appointed as Non-official Independent Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E00 32/1/2020-D(BEL) dated 28 January 2022 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 7 February 2022 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Mrs. Shyama Singh (DIN:09495164), as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India".

11. Appointment of Mr Bhanu Prakash Srivastava (DIN:09578183) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Mr Bhanu Prakash Srivastava (DIN:09578183), who was appointed as Director (Other Units) by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. DDP-E0032/4/2020-D(BEL) dated 20 April 2022 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director and designated as Director (Other Units) w.e.f 20 April 2022 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Mr Bhanu Prakash Srivastava (DIN:09578183) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India".

12. डॉ बिनोय कुमार दास (डीआईएन-09660260) की निदेशक के रूप में नियुक्ति।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -:

"**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, और उसके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुन:अधिनियमन सहित) के अनुक्रम में डॉ. बिनोय कुमार दास (डीआईएन-09660260), जिन्हें रक्षा मंत्रालय के पत्र सं. 19(1)/2020-डी(बीईएल) दिनांक 23 जून 2022 के माध्यम से भारत सरकार द्वारा अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक रूप में नियुक्त किया गया था और तदुपरांत जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संबंध में, इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए 4 जुलाई 2022 से प्रभावी, अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के तहत आवश्यक राशि जमा करने के साथ एक सदस्य से डॉ. बिनोय कुमार दास (डीआईएन-09660260) को कंपनी के निदेशक के पद के अभ्यर्थी के रूप में प्रस्ताव करने हेतु अपने आशय का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में सूचना प्राप्त हुई है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त नहीं होंगे"

13. लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, जिन्हें उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है (वर्तमान में उसमें किए गए किसी सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या पुन:प्रवर्तन सहित), के तारतम्य में, 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त मे. मूर्ति एंड कं. एलएलपी, लागत लेखाकार, बेंगलूरु (एलएलपिन- एएबी-1402 और फर्म पंजीकरण सं. 000648) को ₹ 3,50,000/- (रुपए तीन लाख पचास हज़ार मात्र) तथा लागू कर के पारिश्रमिक का भुगतान करने हेतु कंपनी के सदस्यों की सहमति प्रदान की जाए और एतद्द्वारा प्रदान की जाती होंगे"

14. कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि।

निम्नलिखित संकल्प को संशोधन (संशोधनों) के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में विचार करने और उपयुक्त पाए जाने पर पारित करने हेतु -

"**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 61 तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, जिन्हें उनके तहत बनाए गए

12. Appointment of Dr Binoy Kumar Das (DIN: 09660260) as Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 152 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and Rules made there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Dr Binoy Kumar Das (DIN:09660260), who was appointed as Part-time Official Director by the Govt. of India vide Ministry of Defence letter no. 19(1)/2020-D(BEL) dated 23 June 2022 and subsequently appointed by the Board of Directors as an Additional Director w.e.f 4 July 2022 to hold office until the date of this Annual General Meeting, in terms of Section 161 of the Companies Act, 2013, and in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member along with the deposit of the requisite amount under Section 160 (1) of the Companies Act, 2013, signifying his intention to propose Dr Binoy Kumar Das (DIN:09660260) as a candidate for the office of Director of the Company, be and is hereby appointed as Director of the Company, not liable to retire by rotation, on terms and conditions as stipulated by the Government of India".

13. Ratification of Remuneration of the Cost Auditor.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to Section 148 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), consent of the members of the Company be and is hereby accorded for the payment of remuneration of ₹ 3,50,000 (Rupees three lakh fifty thousand only) plus applicable taxes to M/s Murthy & Co. LLP, Cost Accountants, Bengaluru (LLPIN- AAB-1402 & Firm Registration No. 000648) appointed by the Board of Directors of the Company as Cost Auditors to conduct the audit of cost records of the Company for the financial year ending on 31 March 2023."

14. Increase in Authorised Share Capital of the Company.

To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 61 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Share

कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 (वर्तमान में लागू उनके किसी सांविधिक संशोधन या पुन:अधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी को विद्यमान ₹ 250,00,00,000 (₹ दो सौ पचास करोड़ मात्र) जिसे ₹ 1 (₹ एक मात्र) प्रत्येक के 250,00,00,000 (दो सौ पचास करोड़ मात्र) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है, से ₹ 1 (रु. एक मात्र) प्रत्येक के अतिरिक्त 500,00,00,000 (पांच सौ करोड़ मात्र) इक्विटी शेयर सृजित करते हुए ₹ 750,00,00,000 (₹ सात सौ पचास करोड़ मात्र) जिसे रु. 1 (₹ एक मात्र) प्रत्येक के 750,00,00,000 (सात सौ पचास करोड़ मात्र) इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है, में वृद्धि की जाए और एतद्द्वारा वृद्धि की जाती है जो कंपनी के मौजूदा शेयरों के साथ सममात्रा में श्रेणीकृत होंगे''

15. संस्था के बहिर्नियमों में पूंजी खंड का परिवर्तन

निम्नलिखित संकल्प को संशोधन (संशोधनों) के साथ या उनके बिना, **विशेष संकल्प** के रूप में विचार करने और उपयुक्त पाए जाने पर पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और 61 के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों (वर्तमान में लागू उनके किसी सांविधिक संशोधन या पुन:अधिनियमन सहित) के तारतम्य में, कंपनी के संस्था के बहिर्नियमों के खंड V में परिवर्तन किया जाए और एतद्द्वारा परिवर्तन किया जाता है और उसे निम्नलिखित से स्थानापित किया जाता है -

V. कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी ₹ 750,00,00,000 (₹ सात सौ करोड़ मात्र) है, जो वर्तमान में कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों में किए जा सकने वाले प्रावधान के अनुसार उनमें संलग्न किए जाने वाले अधिकारों, विशेषाधिकारों और शर्तों के साथ, कंपनी की पूंजी में वृद्धि या कमी करने की शक्ति के साथ तथा वर्तमान में कंपनी के शेयरों को अनेक खंडों में विभाजित करने के लिए और उन्हें कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों द्वारा या उनके अनुसार यथा निर्धारित, क्रमश: ऐसे अधिमान, आस्थगित, गारंटीकृत, अर्हताप्राप्त या विशेष अधिकारों को संलग्न करने तथा ऐसी विधि से ऐसे अधिकारों, विशेषाधिकारों या शर्तों में परिवर्तन, संशोधन, समामेलित या निराकृत करने जो वर्तमान में कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों में किए गए प्रावधान अनुसार हैं, के साथ रु. 1 (₹ एक मात्र) के 750,00,00,000 (सात सौ करोड़ मात्र) इक्विटी शेयरों में विभाजित किए गए हैं।

इसके अलावा संकल्प किया गया कि उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल को समुचित प्राधिकारियों के पास आवश्यक फार्म / दस्तावेज दाखिल करने तथा ऐसे सभी विलेखों, दस्तावेजों, लिखतों तथा लिखित सामग्री को निष्पादित करने जो उसके एकमात्र और अनन्य विवेक के अनुसार आवश्यक और उचित माना जाता है या ऐसे प्रश्न, कठिनाई या संदेश का निराकरण करने के लिए जो इसके संबंध में पैदा हो सकता है तथा यहां इसमें प्रदत्त सभी या किसी एक शक्ति को इसके निदेशकों, कंपनी सचिव या कंपनी के किसी अन्य

Capital and Debentures) Rules, 2014 framed thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), the Authorised Share Capital of the Company be and is hereby increased from the existing ₹ 250,00,00,000 (Rupees two hundred fifty crore only) divided into 250,00,00,000 (Two hundred fifty crore) Equity Shares of ₹ 1 (Rupees one only) each to ₹ 750,00,00,000 (Rupees seven hundred fifty crore only) divided into 750,00,00,000 (Seven hundred fifty crore) Equity Shares of ₹ 1 (Rupees one only) each by creation of additional 500,00,00,000 (Five hundred crore only) Equity Shares of ₹ 1 (Rupees one only) each which shall rank pari-passu with the existing shares of the Company.

15. Alteration of the Capital Clause in the Memorandum of Association.

To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s) the following resolution as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT, pursuant to the provisions of Sections 13 and 61 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Clause V of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby altered and substituted by the following:

V. The authorised Share Capital of the Company is ₹ 750,00,00,000 (Rupees seven hundred and fifty crore only) divided into 750,00,00,000 (Seven hundred and fifty crore only) equity shares of ₹1 (Rupees one only) each with the rights, privileges and conditions attaching thereto as may be provided by the Articles of Association of the Company for the time being, with power to increase and reduce the Capital of the Company and to divide the shares in the Capital for the time being into several clauses and to attach thereto respectively such preferential, deferred, guaranteed, qualified or special rights, privileges and conditions as may be determined by or in accordance with the Articles of Association of the Company and to vary, modify, amalgamate or abrogate any such rights, privileges or conditions in such manner as may for the time being be provided by the Articles of Association of the Company.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board of Directors of the Company, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things including filing of necessary forms/documents with the appropriate authorities and to execute all such deeds, documents, instruments and writings as it may in its sole and absolute discretion deem necessary or expedient and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard

अधिकारी को प्रत्यायोजित करने सहित ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और चीज़ें करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

16. बोनस शेयर जारी करने के लिए अनुमोदन।

निम्नलिखित संकल्प को संशोधन (संशोधनों) के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में विचार करने और उपयुक्त पाए जाने पर पारित करने हेतु -

"**संकल्प किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 63 तथा अन्य लागू प्रावधान, जिन्हें कंपनी (शेयर पंजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 के नियम 14 (वर्तमान में लागू उनके किसी सांविधिक संशोधन या पुन:अधिनियमन सहित) के साथ पढ़ा जाना है, और सेबी (पूंजी जारी करना तथा प्रकटीकरण की अपेक्षाएं) विनियम, 2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों तथा यथा आवश्यक लागू विनियामक प्राधिकारियों की सहमति सहित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी विनियमों तथा दिशा-निर्देशों के अधीन तथा कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के संबंधित प्रावधानों तथा कंपनी के निदेशक मंडल (जिसे यहां इसके बाद `मंडल' कहा गया है जिसके अर्थ में मंडल की ओर से उसके द्वारा विधिवत् गठित या प्राधिकृत निदेशकों की समिति शामिल मानी जाएगी) की सिफारिशों के तारतम्य में, और इस संबंध में यथा आवश्यक अनुमति, स्वीकृति और अनुमोदनों के अधीन, कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरधारक जिनके नाम सदस्यों द्वारा धारित ₹ 1 (रु. एक मात्र) प्रत्येक के मौजूदा प्रत्येक 1 (एक) इक्विटी शेयर के लिए ₹ 1 (रु. एक मात्र) पूर्ण चुकता के 2 (दो) इक्विटी शेयर के अनुपात में, मंडल द्वारा इस संबंध में तय की गई रिकार्ड तारीख पर, नेशनल सेक्योरिटीज़ डिपाज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपाज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से यथा प्राप्त, कंपनी द्वारा रखे गए सदस्यों के रजिस्टर / हितलाभी स्वामियों की सूची में दर्शित होते हैं, को पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर के रूप में जारी / क्रेडिट करने के लिए ₹ 1 (रु. एक मात्र) प्रत्येक का बोनस इक्विटी शेयर जारी करने के प्रयोजनार्थ, मंडल द्वारा आवश्यक समझे गए अनुसार, ₹ 4,87,31,85,886 (रु. चार सौ सतासी करोड़ इकतिस लाख पच्यासी हज़ार आठ सौ छियासी मात्र) जो कंपनी की मुक्त आरक्षण निधि और अधिशेष में जमा है, के पूंजीकरण के लिए मंडल को कंपनी के सदस्यों की सहमति प्रदान की जाए और एतद्द्वार प्रदान की जाती है।

इसके अलावा संकल्प किया गया कि बोनस शेयरों के रूप में इस प्रकार आबंटित इक्विटी शेयर कंपनी के मौजूदा पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से सममात्रा शेयर होंगे और कंपनी के संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों के प्रावधानों के अधीन होंगे ।

इसके अलावा संकल्प किया गया कि बोनस शेयरों के लिए ऐसे आबंटितों को कोई आबंटन पत्र जारी नहीं किए जाएंगे जो अपने मौजूदा इक्विटी शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित करते हैं क्योंकि बोनस शेयर

thereto and to delegate all or any of its powers herein conferred to its Directors, Company Secretary or any other officer(s) of the Company."

16. Approval for the Issue of Bonus Shares.

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 63 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with Rule 14 of the Companies (Share Capital & Debentures) Rules, 2014 (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force) and subject to the regulations and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), including the provisions of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (as amended from time to time) and consent of applicable regulatory authorities as may be required and pursuant to the relevant provisions of Articles of Association of the Company and the recommendation of the Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as 'the Board', which expression shall be deemed to include a Committee of Directors duly constituted or authorised by the Board in this behalf), and subject to such permissions, sanctions and approvals as may be necessary in this regard, consent of the Members of the Company be and is hereby accorded to the Board for capitalisation of ₹ 4,87,31,85,886 (Rupees four hundred eighty seven crore thirty one lakh eighty five thousand and eight hundred eighty six only) standing to the credit of the free reserves and surplus of the Company, as may be considered necessary by the Board, for the purpose of issuance of Bonus Equity Shares of ₹ 1 (Rupee one only) each to be issued/credited as fully paid-up Equity Shares to the holders of the existing Equity Shares of the Company, whose names appear in the Register of Members maintained by the Company/List of Beneficial Owners, as received from the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL), on such record date as may be fixed in this regard by the Board, in the proportion of 2 (two) Equity Shares of ₹ 1 (Rupee one only) each fully paid-up for every 1 (one) existing Equity Share of ₹ 1 (Rupee one only) each held by the Members, i.e. in the ratio of 2:1 (two bonus equity shares for every one equity share held).

RESOLVED FURTHER THAT the Equity Shares so allotted as bonus shares, shall rank pari-passu in all respects with the existing fully paid-up Equity Shares of the Company and shall be subject to the provisions of Memorandum and Articles of Association of the Company.

निर्धारित अवधि में या समय-समय पर इस आशय के लिए निर्धारित अवधि के भीतर उनके संबंधित डीमैट खाते में जमा किए जाएंगे।

इसके अलावा संकल्प किया गया कि ऐसे शेयरधारकों को जो अपने मौजूदा इक्विटी शेयर भौतिक रूप में धारित करते हैं, बोनस शेयर से संबंधित शेयर प्रमाण-पत्र पूरे किए जाएंगे और उसके बाद निर्धारित अवधि में या समय-समय पर इस आशय के लिए निर्धारित अवधि के भीतर प्रेषित किए जाएंगे।

इसके अलावा संकल्प किया गया कि उक्त बोनस शेयरों का जारी और आबंटित करना जहां तके वे अप्रवासी भारतीय (एनआरआई), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई), भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) / विदेशी कार्पोरेट निकायों (ओसीबी) तथा कंपनी के अन्य विदेशी निवेशकों से संबंधित हैं, विदेशी मुद्रा-विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और समय-समय पर उनके तहत बनाए गए विनियमों तथा यथा अपेक्षित एवं आवश्यक किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के अनुमोदन के अधीन होगा।

इसके अलावा संकल्प किया गया कि स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, में बोनस शेयरों के सूचीकरण के लिए आवेदन करने हेतु तथा आबंटितों को उनके संबंधित डिपोज़िटरी खातों में बोनस शेयर जमा करने के लिए नेशनल सेक्योरिटीज डिपोज़िटरी लि. (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) में आवश्यक आवेदन करने के लिए और यहां इसके द्वारा अपने निदेशकों, कंपनी सचिव या कंपनी के किसी अन्य अधिकारी को प्रदत्त सभी या किसी एक शक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिए मंडल को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

इसके अलावा संकल्प किया गया कि मंडल को उक्त संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक सभी अन्य उपाय करने तथा मंडल द्वारा अपने अनन्य विवेक पर उपयुक्त पाए जाने पर बोनस शेयर जारी करने संबंधी अन्य सभी निबंधन व शर्तें तय करने के लिए मंडल को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

मंडल के आदेशानुसार
कृते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

बेंगलूरु
4 अगस्त, 2022

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

RESOLVED FURTHER THAT no allotment letters shall be issued to the allottees for Bonus Shares who hold their existing Equity Shares in electronic form, as Bonus Shares shall be credited to their respective demat accounts within the period prescribed or that may be prescribed on this behalf, from time to time.

RESOLVED FURTHER THAT for the shareholders who hold their existing Equity Shares in physical form, the share certificate (s) in respect of the Bonus Shares shall be completed and thereafter be dispatched within the period prescribed or that may be prescribed on this behalf, from time to time.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of the said Bonus Shares to the extent that they relate to Non-Resident Indians (NRIs), Foreign Portfolio Investors (FPIs), Persons of Indian Origin (PIO) /Overseas Corporate Bodies (OCBs) and other foreign investors of the Company, will be subject to the approval of the Reserve Bank of India (RBI) under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and Regulations thereunder, as amended from time to time, and any other regulatory authority, as may be required & necessary.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to apply for Listing of Bonus Shares to the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed and to make necessary application with the National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for crediting the Bonus Shares to the individual Depository accounts of the allottees and to delegate all or any of its powers herein conferred to its Directors, Company Secretary or any other officer(s) of the Company.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to take all other steps as may be necessary to give effect to the aforesaid resolution and determine all other terms and conditions of the issue of bonus shares as the Board may in its absolute discretion deem fit."

By order of the Board
For Bharat Electronics Limited

Bengaluru
4 August 2022

S Sreenivas
Company Secretary

नोट

1. कोविड-19 की महामारी के कारण सामाजिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 और 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, नवीनतम परिपत्र सं.2/2022 दिनांक 5 मई 2022 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 (जिन्हें यहाँ इसके बाद संयुक्त रूप से "परिपत्र" कहा गया है), और इससे संबंधित अन्य लागू परिपत्र द्वारा वीडियो कॉनफ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यम (ओएवीएम) से किसी सामान्य स्थल पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना दिनांक 31 दिसंबर 2022 तक एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी (सूचीकरण की बाध्यताएं एवं प्रकटण की अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") और परिपत्रों में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 68वीं एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु - 560045 माना जाएगा।

2. चूँकि एजीएम एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है । तदनुसार, सदस्यों द्वारा एजीएम के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए इस सूचना के साथ प्रॉक्सी फार्म और उपस्थित पर्ची संलग्न नहीं किया गया है ।

3. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम को पूरा करने के उद्देश्य से की जाएगी।

4. इन परिपत्रों के अनुपालन में, एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के साथ-साथ इस एजीएम की सूचना ऐसे सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल एड्रेस कंपनी / डिपाज़िटरियों के पास दर्ज हैं। सदस्य नोट करें कि एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.in पर, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com में भी उपलब्ध होंगे । एजीएम की सूचना सीडीएसएल (एजीएम के दौरान रिमोट ई-मतदान सुविधा और ई-मतदान प्रणाली प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध कराई गई है।

   ऐसे सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल एड्रेस दर्ज नहीं कराए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर कंपनी के पंजीयक और अंतरण एजेंट मे. इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्रा. लि.. ("आरटीए") के पास एजीएम की सूचना, एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 भेजने के प्रयोजनार्थ लिंक https://www.integratedindia.in/emailupdation.aspx पर क्लिक करते हुए अस्थायी रूप से दर्ज कराएँ / अपडेट कर लें। वैकल्पिक रूप से, सदस्य एजीएम

NOTE

1. In view of continuing social distancing norms due to Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA), vide its General Circular Nos. 14/2020 dated 8 April 2020, 17/2020 dated 13 April 2020, 20/2020 dated 5 May 2020, the latest being 2/2022 dated 5 May 2022 and Securities Exchange Board of India (SEBI) vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIRP/P/2022/62 dated 13 May 2022 (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), and other applicable circulars issued in this regard, have permitted the companies to conduct AGM through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) till 31 December 2022, without physical presence of Members at a common venue. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") and the Circulars, the 68th AGM of the Company is being held through VC/OAVM. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company, Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru - 560045.

2. Since the AGM is being held through VC / OAVM pursuant to the Circulars, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM and therefore the Proxy Form and Attendance Slip is not annexed to this Notice.

3. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

4. In compliance with the Circulars, Notice of the AGM along with the Integrated Annual Report 2021-22 is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/ Depositories. Members may note that the Notice of the AGM and Integrated Annual Report 2021-22 will also be available on the Company's website www.bel-india.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM) at www.evotingindia.com.

   Members who have not registered their e-mail address are requested to temporarily register/update their e-mail address and mobile number with Company's Registrar and Transfer Agent M/s Integrated Registry Management Services Pvt. Ltd. ("the RTA"), by clicking the link: https://